

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग-2
संख्या—५८/V-2/2018-48(आ०) / 2017टी०सी०
देहरादून: दिनांक १५ मार्च, 2018

कार्यालय ज्ञाप

भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 22 के अधीन उत्तराखण्ड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (Uttarakhand Real Estate Regulatory Authority) में श्री मोहन चंद जोशी (से०नि०, आई०ए०ए०स०) 26-नवयुग इन्कलेव, इन्दिरापुरम् फेज-3, जी०ए०ए०स० रोड़ देहरादून एवं श्री चन्द्र मोहन सिंह बिष्ट (से०नि०, आई०ए०ए०स०) 292/1 बसंत विहार, न्यू फारेस्ट, देहरादून को सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— सदस्य उत्तराखण्ड भू-संपदा नियामक प्राधिकरण पर नियुक्त पदधारक को उत्तराखण्ड भू-संपदा (विनियमन और विकास) (सामान्य) नियम-2017 के नियम-18 के प्राविधानानुसार नियत वेतन एवं सुविधाएं अनुमन्य होंगी। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष में से जो भी पहले घटित हो तक रहेगा।

3—यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(अमित सिंह नेरी)
सचिव

संख्या—५८/V-2/2018-48(आ०) / 2017 टी०सी० तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— अपर मुख्य सचिव—मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 2— निजी सचिव, मा० मंत्री, आवास विभाग उत्तराखण्ड सरकार को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 3— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड रासन।
- 4— आयुक्त, गढ़वाल, / कुमाऊँ, पौड़ी / नैनीताल, उत्तराखण्ड।
- 5— रजिस्ट्रार जनरल, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
- 6— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड / समस्त प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
- 7— महालेखाकार, उत्तराखण्ड रासन।
- 8— मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 9— श्री मोहन चंद्र जोशी (सेवानिवृत्त आई०ए०ए०स०) 26-नवयुग इन्कलेव, इन्दिरापुरम् फेज-3, जी०ए०ए०स० रोड़, देहरादून।
- 10— श्री चन्द्र मोहन सिंह बिष्ट (सेवानिवृत्त, आई०ए०ए०स०) 292/1 बसंत विहार, न्यू फारेस्ट, देहरादून।
- 11— निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र सचिवालय परिसर देहरादून।
- 12— श्री अमित सिंह नेरी, उत्तराखण्ड राज्यपाल आज्ञा से,
देहरादून (सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव